न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.01 / रेफरेंस / 2024 (GCMS No. 2024 / 94)	24.06.2024	30.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तहसील बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. पुरूषोत्तमदास पि0 अमृतलाल कौम महाजन सा. बून्दी
2. नारायणदास पि0 अमृतलाल कौम महाजन सा. बून्दी
3. प्रदीपकुमार पि0 अमृतलाल कौम महाजन सा. बून्दी
4. ओमप्रकाश पि0 अमृतलाल कौम महाजन सा. बून्दी
5. रविदत्त पि0 बृजवल्लभ कौम महाजन सा. बून्दी
   (मृतक जर्ये कायम मुकाम) :-

5/1 श्रीमती कमला नुवाल पत्नी स्व.रविदत्त नुवाल सा. बून्दी
5/2 सत्यप्रकाश नुवाल पुत्र स्व. रविदत्त नुवाल सा. बून्दी
5/3 विनोद कुमार नुवाल पुत्र स्व. रविदत्त नुवाल सा. बून्दी
5/4 संजय कुमार नुवाल पुत्र स्व. रविदत्त नुवाल सा. बून्दी
5/5 श्रीमती ममता माहेश्वरी पुत्री स्व. रविदत्त नुवाल सा. बून्दी

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री श्रीनाथ किशोर गुप्ता, एडवोकेट

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर बून्दी के आदेश क्रमांक 14 दिनांक 09.09.2013 की पालना में तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 1/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/94 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी सत्यप्रकाश नुवाल द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं. 5 रविदत्त का स्वर्गवास दिनांक 12.02.2023 को हो जाने से उनकी जगह उनके वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर अपना जवाब दिनांक 24.09.2024 को पेश किया जाकर उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि ग्राम जरखोदा की आराजी खसरा सं. 456 रकबा 14 बीघा में से 7 बीघा भूमि ओपन पान शुगर फैक्ट्री, जरखोदा भागीदार श्री अमृतलाल, रविदत्त पि0 बृजवल्लभ महाजन साकिन बून्दी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ बृज राईस मील हेतु आवंटित भूमि की निष्पादित लीज डीड दिनांक 08.11.1989 को निरस्त करते हुए जिला कलक्टर महोदय, बून्दी द्वारा आदेश संख्या 14 दिनांक 09.09.2013 से प्रश्नगत भूमि को मूल प्रास्थिति में परिवर्तित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, जिसकी पालना में पटवारी हल्का गुमानपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 खसरा सं. 618/456 रकबा 7 बीघा में खातेदार मैसर्स राज ओपन शुगर फैक्ट्री सा.देह भागीदार पुरूषोत्तम, नारायणदास, प्रदीपकुमार, ओमप्रकाश पि. अमृतलाल हि0 1/2 व रविदत्त पि0 बृजबल्लभ हि0 1/2 कौम महाजन सा. देह में खोला गया, जो गलत है, क्योंकि उक्त नामा0 ख.सं. 663/456 रकबा 7 बीघा औद्योगिक क्षेत्र मैसर्स बृजराईस मील सा देह 99 वर्षीय लीजदार में खोला जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम जरखोदा का नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावें।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि रेफरेंस स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 को निरस्त किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 को निरस्त किये जावे ताकि जिला कलक्टर महादेय बून्दी के आदेश क्रमांक 14 दिनांक 09.09.2013 की पालना आदेशानुसार हो सके।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध इस कार्यालय के आदेश संख्या 14 क्रमांक प.12–3(383)राजस्व/87/2984–91 दिनांक 09.09.2013 के अवलोकन से प्रकट है कि मैसर्स राज ओपन पान शुगर फैक्ट्री जरखोदा के भागीदार श्री अमृतलाल, रविदत्त पि0 बृजबल्लभ महाजन साकिन बून्दी को जिला कलक्टर बून्दी के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक प.12–3(383)राजस्व/88/4720–27 दिनांक 01.11.1988 से ग्राम जरखोदा, तहसील बून्दी में स्थित अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 456 रकबा 14 बीघा में से 7 बीघा भूमि को अकृषि में परिवर्तन करते हुये राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम,1959 के अन्तर्गत बृज राईस मिल स्थापित करने हेतु शर्तो के अधीन आवंटित की गई थी। तत्पश्चात मैसर्स बृज राईस मिल जरखोदा के भागीदार स्व. श्री अमृतलाल के वारिसान पुरूषोत्तम दास नुवाल, नारायण दास नुवाल, प्रदीप नुवाल, ओमप्रकाश नुवाल, श्रीमती कान्ता पत्नी स्व.श्री अमृतलाल, श्रीमती मंन्जू पुत्री स्व.श्री अमृतलाल एवं श्री रविदत्त नुवाल निवासी बून्दी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में अब उक्त राईस मिल चालू नहीं रहने से राईस फैक्ट्री हेतु निर्धारित लीजडीड को समाप्त किया जाकर उक्त भूमि को वापस पूर्ववत प्रार्थीगण के खाते में अंकित किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में राईस फैक्ट्री पर राजकीय बकाया नहीं होने के संबंध में विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, सेलटेक्स विभाग का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन)(संशोधन) नियम, 2010 के नियम 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज ओपन पान शुगर फैक्ट्री जरखोदा के भागीदार श्री अमृतलाल, रविदत्त पि0 बृजबल्लभ महाजन साकिन बून्दी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ बृज राईस मिल हेतु आवंटित भूमि की निष्पादित लीजडीड दिनांक 08.11.2989 निरस्त करते हुये प्रश्नगत आवेदित भूमि को मूल प्रास्थिति में प्रतिवर्तित करने के आदेश प्रदान किये गये थे। जिला कलक्टर बून्दी के उक्त आदेश की पालना में भूमि खसरा संख्या 618/456 रकबा 7 बीघा पर मैसर्स राज ओपन शुगर फैक्ट्री के स्थान पर पुरूषोत्तमदास, नारायणदास, प्रदीपकुमार, ओमप्रकाश पि. अमृतलाल हि.1/2 व रविदास वल्द बृजबल्लभ कौम महाजन सा. बून्दी के पक्ष में तहसीलदार बून्दी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 तस्दीक किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तहसीलदार बून्दी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि पटवारी हल्का, गुमानपुरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 757 दिनांक 30.06.2014 खसरा सं. 663/456 रकबा 7 बीघा औद्योगिक क्षेत्र मैसर्स बृजराईस मिल 99 साला लीजदार में नहीं खोला जाकर सहवन से खसरा सं. 618/456 रकबा 7 बीघा में खातेदार मैसर्स राज ओपन शुगर फैक्ट्री भागीदार पुरूषोत्तमदास, नारायणदास, प्रदीपकुमार, ओमप्रकाश पि. अमृतलाल हिस्सा 1/2 व रविदास पि0 बृजबल्लभ हिस्सा 1/2 कौम महाजन में दर्ज कर दिया गया, जो गलत होने से रेफरेंस स्वीकार योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर बून्दी द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.11.1988 से राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम,1959 के अन्तर्गत बृज राईस मिल स्थापित करने हेतु आवंटित की गई भूमि को ही भागीदारों के आवेदन पर वापस पूर्ववत स्थिति में लाये जाने बाबत जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश सं. 14 दिनांक 09.09.2013 प्रसारित किया गया था, ऐसे में औद्योगिक प्रयोजनार्थ बृज राईस मिल हेतु आवंटित भूमि की निष्पादित लीजडीड दिनांक 8.11.1989 निरस्त किये जाने से खसरा संख्या 663/456 को पूर्ववत स्थिति में दर्ज रेकार्ड किया जाना था, न कि खसरा संख्या 618/456 को। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 सहवन से भिन्न खसरा नम्बर पर दर्ज कर दिया गया है जो गलत होने से इसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 30.06.2014 को निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी